

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 11 में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 11 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाए, नामतः-

"(5) प्राधिकृत कंपनी को, परिवहन टैरिफ के अलावा, उप-विनियम 4 में उल्लिखित अतिरिक्त कंप्रेशन प्रभारों के लिए शिपर्स से प्रभार लेने तथा बोर्ड के संगत विनियमों के अंतर्गत अनुमेय अनुसार असंतुलन प्रबंधन सेवाएं लेने की अनुमति होगी।"

के. राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विजापन III/4/असाधारण/188/13]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को सा.का.नि. 340(अ), दिनांक 06/05/2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 802(अ), दिनांक 19/11/2008, सा.का.नि. 769(अ), दिनांक 20/10/2009, सा.का.नि. 38(अ), दिनांक 18/01/2010, सा.का.नि. 480(अ), दिनांक 07/06/2010 तथा सा.का.नि. 594(अ), दिनांक 09/07/2010 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

F. No. PNGRB/M(C)/48.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 11.

In regulation 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(5) The authorized entity will, in addition to transportation tariff, be allowed to charge shippers for additional compression charges mentioned in sub-regulation 4 and Imbalance Management Services as allowed under the relevant regulations of the Board.”

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADV.T. III/4/Exty./188/13]

Foot Note : Principal regulations were notified vide GSR 340(E), dated 06/05/2008 and subsequently amended vide GSR 802(E), dated 19/11/2008, GSR 769(E), dated 20/10/2009, GSR 38(E), dated 18/01/2010, GSR 480(E), dated 07/06/2010 and GSR 594(E), dated 09/07/2010.